4722
13.9.24

33 3099/ /2024-पंचायतीराज अनुभाग-3-Panchayati Raj Department

I/741758/2024

संख्याः /33–3–2024

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज विभाग अनुभाग –3 लखनऊ, दिनांकः सितम्बर, 2024

विषयः– 02 अक्टूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 के मध्य वर्ष 2025–26 की सहभागी पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु जनयोजना अभियान (पी.पी.सी. कैम्पेन) के संचालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–एम–11015/197/2023–सी.बी., दिनॉक 09 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक 02 अक्तूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) के साथ–साथ 28 फरवरी 2025 तक क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) तथा 31 मार्च 2025 तक जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आप अवगत है कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 1033/33–3–2022–345/2016/टी.सी., दिनांक 27 मई, 2022 से 09 विषयगत दृष्टिकोण (थीम) को अपनाते हुए वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार किए जाने के विषय में अवगत कराया गया है। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किः–

1. दिनांक 02 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के मध्य ''जन योजना अभियान'' का आयोजन करते हुए **वित्तीय वर्ष 2025–26** की नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना को सक्षम समिति से अनुमोदन के पश्चात् ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
2. वार्षिक कार्ययोजनाएं सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में 09 विषयगत दृष्टिकोण/थीम (1. गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गॉव, 2. स्वस्थ्य गॉव, 3. बाल हितैषी गॉव, 4. पर्याप्त जल युक्त गॉव, 5. स्वच्छ एवं हरित गॉव, 6. आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ॉचे वाला गॉव, 7. सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गॉव, 8. सुशासन युक्त गॉव, 9. महिला हितैषी गॉव पर आधारित होगी, जिसमें विभिन्न विषय से सम्बन्धित नोडल विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जन सहभागिता लेते हुए तैयार किया जाये।
3. वार्शिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार करने से पूर्व शासनादेश सं0 2618/33–3–2015–10 जी.आई./2015, दिनॉक 29 सितम्बर, 2015 से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक कराते हुए 09 थीम/विषय से सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों के दायित्वों का निर्धारण किया जाए तथा महत्वपूर्ण फ्लैगशिप (राज्य/केन्द्र) योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण एवं उनसे सम्बन्धित गतिविधियों को पंचायतों की कार्ययोजना में सम्मिलित कराने हेतु ग्राम/ब्लाक/तहसील/जनपद स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को जिलाधिकारी के स्तर से निर्देश निर्गत किये जाये।

1904
DD(श्री शाही)
Xen
13/09/24 2 PM

RGSA

(अभय कुमार शाही)
उपनिदेशक (पं०)
पंचायतीराज, उ०प्र०
13.9.2024.

Smt. Sunita / Sri Sushil
18/09/2024

4. वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु नियोजन की प्रक्रिया का ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर क़ा निम्नानुसार पालन सुनिश्चित किया जाए:–

(अ) ग्राम पंचायत स्तर पर:–

I. ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व समुदाय को योजना तैयार किए जाने हेतु जागरूक किया जाए तथा ग्राम पंचायत में समुदाय की आश्यकताओं के आंकलन एवं समस्याओं की पहचान हेतु विभिन्न विभागों के कर्मियों के साथ भ्रमण किया जाये। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत में उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समुदाय की समस्याओं/आवश्यकताओं पर ग्राम सभा में विचार किया जाए। समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी की उपस्थिति दिनांक 02 अक्तूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 के मध्य होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। इस सम्बंध में 'मिशन अंत्योदय' एवं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के अन्तर्गत पाये गये क्रिटिकल गैप पर भी चर्चा कर गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायगा।

II. ग्राम पंचायतों द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु निर्धारित 09 थीम में से कम से कम 01 एवं अधिकतम 02 थीम का चयन किया जायेगा। थीम के चयनोपरान्त ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित थीम का उल्लेख ग्राम सभा की कार्यवाही में किया जाएगा तथा हस्ताक्षरित ग्राम सभा संकल्प की प्रकिया पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेण्ट ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) पर किया जायेगा, साथ ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने की प्रकिया को जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर अद्यतन करते हुए ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ब) क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर पर:–

I. क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा भी अपने कार्यक्षेत्र में जन–समुदाय की आवश्यकताओं/ समस्याओं को चिन्हित कर वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये तथा 09 विषयगत क्षेत्रो/थीम पर ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं को क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) एवं क्षेत्र पंचायत की आवश्यकताओं को जिला पंचायत विकास योजना(डी.पी.डी.पी.) का भाग बनाया जाये।

II. क्षेत्र एवं जिला पंचायतों द्वारा अपनी विकास योजना में विकासात्मक आवश्यकताओं, एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों को लाभ पहुँचाने वाले कार्य, सामाजिक विकासपरक कार्य, स्त्री–पुरूष समानता के प्रति संवेदित योजना, स्वच्छता, जल आपूर्ति, खेल के मैदान, बुनियादी ढाचा विकसित करने जैसी सेवाओं की शत–प्रतिशत उपलब्धता, कार्बन मुक्त एवं ग्राम ऊर्जा (सोलर पॉवर) से संबंधित गतिविधियों पर केन्द्रित कार्ययोजना, स्वयं द्वारा किए जा रहे कार्यो तथा दी जा रही सेवाओं के आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन से सम्बन्धित कार्य को जगह दी जाये। इसके साथ ही कार्ययोजना में कम लागत/बिना लागत वाली गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाए।

III. बी.पी.डी.पी. को क्षेत्र पंचायत समिति तथा डी.पी.डी.पी. को जिला पंचायत की निर्धारित समिति से अनुमोदन के पश्चात् जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर प्रक्रिया को अद्यतन करते हुए वार्षिक कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

5. उक्त के क्रम में दिनांक 02 अक्तूबर, 2024 से 31 मार्च 2025 के मध्य वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु निम्न समय–सारिणी के अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् किया जाये:–

(1) ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)

क्र.	गतिविधियॉ	समयावधि
1.	विभिन्न सहयोगी विभागों द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों को	द्वितीय सप्ताह

	जनयोजना अभियान की अवधि में आयोजित विशेष ग्राम सभा की बैठक में उनके विभाग से सम्बन्धित प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं (फ्लैगशिप योजनाओं के सम्बंध में शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल, 2023 से निर्देश निर्गत) की सूचना उपलब्ध कराया जाना।	सितम्बर, 2024
2.	जनयोजना अभियान के अनुश्रवण प्लेटफार्म/पोर्टल का एक्टीवेशेन।	16 सितम्बर, 2024
3.	विभागों द्वारा जनयोजना अभियान हेतु राज्य/जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों को नामित किया जाना।	16 सितम्बर, 2024
4.	ग्राम पंचायत स्तर पर फैसिलिटेटर का चयन।	16 सितम्बर, 2024
5.	ग्राम पंचायत पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक का आयोजन।	दिनांक 20 सितम्बर, 2024 तक
6.	नोडल अधिकारियों एवं फैसिलिटेटर हेतु परिचयात्मक कार्यशाला/अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन।	23 सितम्बर 2024 तक
7.	ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर, उसमें अधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति तथा जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर ग्राम सभा की समय–सारिणी अपलोड किया जाना।	27 सितम्बर 2024 तक
8.	प्रत्येक पंचायत में डिस्प्ले बोर्ड (वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के सापेक्ष किए गए कार्यों का विवरण) का प्रदर्शन।	28 सितम्बर 2024 तक
9.	वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार–विमर्श एवं जागरूकता हेतु स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन।	दिनांक 02 अक्टूबर 2024
9.1	वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु ग्राम सभा की कम से कम 02 बैठकों (प्रथम बैठक जागरूकता एवं कार्ययोजना पर विचार तथा द्वितीय बैठक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाना) का अनिवार्य रूप से आयोजन।	अक्तूबर, 2024 के प्रथम सप्ताह से लेकर जनवरी, 2025 के द्वितीय सप्ताह तक
9.2	महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन, ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, महिला कल्याण तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि सहयोगी होंगे।	
9.3	ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधन, "मिशन अन्त्योदय" एवं "पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स" में आए क्रिटिकल गैप पर चर्चा कर आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्ययोजना में गतिविधियों का समावेश।	
9.4	गरीबी न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, वी.एच.एस.एन.सी., जैव विविधता सम्बंधी वानिकी योजना, एस.एल.डब्ल्यू एम., विद्यालय प्रबंधन, श्रम बजट तथा अन्य ग्राम स्तरीय कार्ययोजना का जी.पी.डी.पी. का समावेश।	
9.5	ग्राम सभा, महिला सभा व बाल सभा की जियो–टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाना।	
10	अंतिम रूप से ग्राम सभा से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना।	दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक

(2) क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) एवं जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार करनाः

क्र.	गतिविधियॉं	समयावधि
1	क्षेत्र पंचायत (खण्ड विकास अधिकारी) एवं जिला पंचायत (अपर	दिनांक 05 अक्तूबर

	मुख्य अधिकारी) का कार्ययोजना तैयार किये जाने पर उन्मुखीकरण/ प्रशिक्षण एवं विचार–विमर्श हेतु प्रथम बैठक।	से 5 दिसम्बर, 2024
2	क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीमों की सूचना सम्बन्धित लाइन डिपार्टमेन्ट द्वारा क्षेत्र/जिला पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 05 अक्तूबर से 5 दिसम्बर, 2024
3	फैसीलिटेटर चयन के साथ क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत समिति द्वारा कार्यक्षेत्र की समस्याओं का चिन्हींकरण कर आवश्यकताओं का आंकलन।	दिनांक 05 अक्तूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025
4	विषयगत क्षेत्रों/थीम आधारित गतिविधियों को कार्ययोजना का भाग बनाए जाने पर विचार–विमर्श एवं कार्ययोजना को अंतिम रूप दिए जाने हेतु क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की द्वितीय बैठक का आयोजन किया जाना।	
5	क्षेत्र पंचायत से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।	28 फरवरी, 2025 तक
6	जिला पंचायत से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।	31 मार्च, 2025 तक

6. विभिन्न विभागों का दायित्व होगा कि उनके विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना एवं बजट को पंचायतों की बैठकों में प्रस्तुत किया जाये एवं क्रिटिकल गैप से संबंधित गतिविधियों को प्रत्येक स्तर की कार्ययोजना में सम्मिलित कराया जाये। विभागों का यह भी दायित्व होगा कि वह जनपद स्तर से ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अधिकारी/कर्मी को नामित कर प्रतिभागिता सुनिश्चित् कराए, जिसमें उनके विभाग की कार्ययोजना पंचायतों की विकास योजना का भाग बन सके। इस कार्य के अनुश्रवण एवं प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु अधिकारी/कर्मी नामित किए जायें व उसका विवरण www.gpdp.nic.in पर किया जायेगा,
7. दिनॉक 29 सितम्बर, 2015 से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कियान्वयन एवं समन्वयन समिति एवं 09 मार्च, 2016 से खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति पंचायतों की कार्ययोजना तैयार करने एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी समिति होगी। उक्त दोनो समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार पंचायतों में कार्यरत अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मियों को समिति के विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में नामित कर सकते है।
8. पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना के तैयार किये जाने की अवधि में रिर्पोटिंग एवं समितियों/ग्राम सभा के आयोजन हेतु पंचायतें 15वें वित्त आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से अधिकतम धनराशि रू0 2500/– तक व्यय कर सकती है।
9. रिर्पोटिंग एवं ग्राम सभा आयोजन में पंचायत सहायक की सक्रिय भागीदारी तथा 09 विषयों पर जानकारी देने हेतु विषय–विशेषज्ञों की सेवायें सीमित अवधि के लिये ली जा सकती हैं जो 09 विषयों पर समझ बनाने में ग्राम पंचायत की सहायता करेगा। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम सभा के आयोजन, रिपोर्टिंग, योजना निर्माण तथा एवं www.gpdp.nic.in पर सूचनायें ससमय अपलोड की जायेगी।
10. इस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप ही वर्क–आई.डी. विकसित करते हुए ही कार्य कराए जाए, बिना वर्क–आई.डी. निर्गत कराए गए कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत, वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल अनुमानित धनराशि से 20 प्रतिशत से अधिक की न हो।

अतः उक्त के क्रम में ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) निर्माण प्रक्रिया को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्तूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 (समय–सारिणी अनुसार) के मध्य योजना तैयार किए जाने की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Signed by Narendra Bhooshan
Date: 12-09-2024 17:24:58

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विकास, महिला कल्याण, समाज कल्याण, नियोजन, राजस्व, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु एवं मध्यम उद्योग, कृषि, लघु सिचाई, आई.टी. एवं इलेक्ट्रनिक्स, अतिरिक्त/वैकल्पिक ऊर्जा, गृह विभाग(पुलिस) आदि, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक/मिशन निदेशक/निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, वन, महिला कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), उ0प्र0।
8. मिशन निदेशक/निदेशक, उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन, कौशल विकास, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
12. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
13. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उत्तर प्रदेश।
15. समस्त प्रधान/सचिव एवं पंचायत सहायक, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Signed by Ashok Kumar Ram
Date: 12-09-2024 18:45:59

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

विकास आनन्द, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव
VIKAS ANAND, IAS
Joint Secretary

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
11th Floor, Jeevan Prakash Building
25, K.G. Marg, New Delhi-110001

D. O. No. M-11015/197/2023-CB

September 09, 2024

Dear Madam/Sir,

As you are aware, this Ministry has been rolling out People's Plan Campaign (PPC)- *'Sabki Yojana Sabka Vikas'* across all States/UTs since 2018 to enable Panchayats to prepare evidence based holistic Panchayat Development Plans (PDP) through participatory process. I appreciate the efforts of States/ UTs particularly Panchayati Raj and Rural Development Departments as well as other Departments for facilitating the preparation of thematic PDP to make the PPC 2024-25 successful.

2. Inspired by the visible and satisfactory performances of earlier campaigns and to provide sustainability to formulation of PDPs in a participative and convergent manner, it is proposed to roll out People's Plan Campaign 2024-25 for preparation of Panchayat Development Plan for the Financial Year 2025-26 from 2nd October, 2024.

3. Like earlier PPCs, this year's PPC will also be coordinated by the Department of Panchayati Raj (DoPR) in the States/UTs and proceed to undertake following activities in a time bound manner:

S. No.	Activities	Timeline
1.	PR department to write to the line Departments to share information of major flagship schemes of Central & State Government during Special Gram Sabha	2nd week of September, 2024
2.	Activation of monitoring platform/portals of PPC-2024-25	16th September, 2024
3.	Appointment of Nodal officers (State/District/Block level)	16th September, 2024
4.	Appointment of facilitators for every Gram Panchayat	16th September, 2024
5.	Introductory workshop/ Orientation and training of nodal officers and facilitators	23rd September, 2024
6.	Finalisation of Schedule of Gram Sabha meetings	25th September, 2024
7.	Uploading Gram Sabha wise Calendar on PPC portal	27th September, 2024
8.	Display of Public Information Board in every Gram Panchayat	28th September, 2024
9.	-Discussion on preparation of thematic GPDP for FY 2024 by GPs in Special Gram Sabha	2nd October 2024
10.	Uploading of geo-tagged visuals of Gram Sabha (GS) meetings	1st week of October, 2024 for 1st GS and 2nd Week of January, 2025 for 2nd GS
11.	Block level workshops of line departments for data/ information sharing in respect of major flagship schemes of Central & State Governments	5th October to 5th December, 2024
12.	Uploading of Gram Panchayat Development Plan (GPDP) 2025-26	By 31st January 2025
13.	Uploading of Block Panchayat Development Plan (BPDP) 2025-26	By 28th February 2025
14.	Uploading of District Panchayat Development Plan (DPDP) 2025-26	By 31st March 2025

4. During campaign structured Gram Sabhas will be held for preparation of comprehensive, participatory, and convergent GPDP by adopting saturation approach through inclusion of plans of line departments into GPDP. Accordingly, concerned officials of Line Department may be instructed to attend the Gram Sabhas and share the details of the schemes and programmes of their Departments which is to be integrated into the GPDP for holistic approach. Likewise, comprehensive and convergent BPDP and DPDP is also to be prepared through inclusion of plans of line departments. In this regard, a joint advisory issued by the 7 Central Ministries vide DO letter dated 30th September 2022 (Copy enclosed) may please be referred.

5. To make the PPC 2024-25 more visible and participative, the States/UTs are requested to organise workshops/ conferences at State/District/Block level to launch of PPC 2024-25 in the State. I believe the experience gained during last year's campaign would provide the necessary stimulus in rolling out of this year's campaign in more effective and vigorous way by all the stakeholders.

6. I, therefore, shall be grateful for your leadership and guidance to the concerned authorities of your States/UTs for roll out of People's Plan Campaign 2024-25 for timely preparation and uploading of Panchayat Development Plan for the FY 2025-26.

With warm Regards.

Yours sincerely,

09.08.24

(Vikas Anand)

The Addl. CS / Pr. Secretary/ Secretary
Department of Panchayati Raj
(All States/UTs)

Copy to: Director General, NIRDPR, Hyderabad for kind information